EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY DATED THE 21ST MAY, 2021

हरियाणा सरकार आबकारी तथा कराधान विभाग अधिसूचना

दिनांक 21 मई, 2021

संख्या 15/जीएसटी—2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 148 के साथ पिठत धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 12/जीएसटी—2, दिनांक प्रथम जनवरी, 2019, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 12 / जीएसटी—2, दिनांक प्रथम जनवरी, 2019, में, सातवें परंतुक में,—

- (i) अंत में विद्यमान ''।" चिह्न के स्थान पर, ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) निम्नलिखित परन्तुक जोडा जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह और कि उन रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए, जो निम्न सारणी के खाना (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट किए गए हैं, जो प्ररूप जीएसटीआर—3ख में विवरणी को नियत तिथि तक प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं, निम्न सारणी के खाना (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट कर अवधि के लिए उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन भुगतानयोग्य विलंब फीस को निम्न सारणी के खाना (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट अवधि के लिए अधित्यक्त किया जाता है, अर्थात्: —

सारणी

क्रम संख्या	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग	कर अवधि	अवधि, जिसके लिये विलंब फीस अधित्यक्त की गई है
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में		विवरणी प्रस्तुत करने
	कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	आर अप्रल 2021	की नियत तिथि से पंद्रह दिन
2.	क्रदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में		\sim
	कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन		की नियत तिथि से तीस दिन

	विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं			
3.	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये	जनवरी मार्च	_ 2021	विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि से तीस दिन।"।
	उत्तरदायी है			

2. यह अधिसूचना 20 अप्रैल, 2021 से लागू हुई समझी जाएगी।

अनुराग रस्तोगी, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT Notification

The 21st May, 2021

No.15/GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.12/GST-2, dated the 1st January, 2019, namely:-

Amendment

In Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.12/GST-2, dated the 1st January, 2019, after the seventh proviso,-

- (i) for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted;
- (ii) the following proviso shall be added, namely:-

"Provided further that the amount of late fee payable under section 47 shall stand waived for the period as specified in column (4) of the Table given below, for the tax period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, for the class of registered persons mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table, who fail to furnish the returns in **FORM GSTR-3B** by the due date, namely:-

Table

Serial Number (1)	Class of registered persons (2)	Tax period (3)	Period for which late fee waived (4)
1.	Taxpayers having an aggregate	March, 2021 and	Fifteen days from
	turnover of more than rupees 5	April, 2021	the due date of
	crores in the preceding financial		furnishing return
	year		
2.	Taxpayers having an aggregate	March, 2021 and	Thirty days from
	turnover of up to rupees 5 crores	April, 2021	the due date of
	in the preceding financial year		furnishing return
	who are liable to furnish the		
	return as specified under sub-		
	section (1) of section 39		
3.	Taxpayers having an aggregate	January-March,	Thirty days from
	turnover of up to rupees 5 crores	2021	the due date of

in the preceding financial year	furnishing return.".
who are liable to furnish the	
return as specified under proviso	
to sub-section (1) of section 39	

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 20^{th} day of April, 2021.

ANURAG RASTOGI, Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Excise and Taxation Department.